

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आप0प्र0 क्रमांक 106 / 2015

आर.सी.टी.नं. 92 / 2015

संस्थित दिनांक 11.03.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

जाफर पिता बाबु पठान नायता,
उम्र 24 वर्ष, निवासी ठीकरी नायदड़
रोड, जिला बड़वानी

-----अभियुक्तगण

राज्य तर्फे एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक - श्री बी.के.सत्संगी ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 26.05.2018 को घोषित)

अभियुक्त पर धारा 294,323,506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,उसने दिनांक 01.03.2015 को शाम 05:00 बजे, नायदड़ रोड नन्नू राठोर के घर के सामने ठीकरी में फरियादिया नसीम बी व फरजाना को मां बहन की अश्लील गालिया सार्वजनिक स्थान पर दी, फरियादिया व फरजाना को लात घुसों से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी दी ।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि,दिनांक 01.03.2015 को फरियादी नसीम बी ने थाना ठीकरी पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज इसराईल भाई के घर गांव में शादी का खाना खाने वह तथा उसकी लड़की फरजाना गये थे। रोड़ पर नन्नू राठौर के घर के सामने उनके मोहल्ले का आरोपी जाफर उनको देखकर मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा, तो उसकी लड़की ने आरोपी को बोला कि हमको गालिया क्यों दे रहा है, तो आरोपी बोला कि छिनाल "मैंने तेरेको गालियां नहीं दी, मगर तु बोल रही है तो अब गालिया देता हूँ"। मना करने पर उसने पहले फरियादी की लड़की फरजाना को कमर पर लात मार दी जिससे उसे कमर में बांयी तरफ चोट लगी। फिर वह बीच बचाव करने लगी तो उसे

//2//

आप0प्र0 कमांक 106/2015

आर.सी.टी.नं. 92/2015

संस्थित दिनांक 11.03.2015

भी सीने पर लात मार दी जिससे सीने में अंदरूनी रूप से दर्द हो रहा था तथा आरोपी ने जाते-जाते बोला कि आज तो बच गए दुबारा टकराई तो जान से खत्म कर देंगा। फरियादी के द्वारा थाने में आकर घटना की प्र.सू.रिपोर्ट लिखायी थी उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध कं0 52/2015 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

3. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294,323,506 भाग-2 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि: -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.03.2015 को शाम 05:00 बजे, नायदड रोड नन्नु राठौर के घर के सामने ठीकरी में फरियादिया नसीम बी व फरजाना को मां बहन की अश्लील गालिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया व फरजाना को लात घुसों से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की?
3. क्या आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया नसीम बी व फरजाना को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

//विचारणीय प्रश्न कं0 2 //

5. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में नसीम बी (अ.सा.1), फरजाना (अ.सा.2), मेडिकल ऑफिसर दुर्गासिंह (अ.सा.3), छोगालाल (अ.सा.4), शिव जी राठौर

(अ.सा.5) राजेन्द्र सोलंकी (अ.सा.6) एवं पी सी इंगले (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्तगण की ओर से उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फरियादिया नसीम बी (अ.सा.1) एवं फरजाना (अ.सा.2) को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, उसकी लडकी फरजाना की कमर पर लात मार दी, जिससे उसकी कमर पर चोट आई तथा उसने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उसे सीने पर लात मार दी, जिससे उसे अंदरूनी चोट आई। पुलिस ने उसे और उसकी लडकी फरजाना को ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था जहां पर उनका ईलाज हुआ था। फरजाना (अ.सा.2) ने फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्त जाफर ने उसे कमर पर लात मार दी, जिससे उसकी कमर पर चोट आई थी। उसकी माता नसीम बी ने बीच बचाव किया तब आरोपी ने उनके सीने पर लात मार दी जिससे उन्हें अंदरूनी चोट आई थी। पुलिस ने उसे और उसकी माता को ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था, जहां पर उनका ईलाज हुआ था। साक्षी पी.सी.इंगले (अ.सा.7) ने आहतगण नसीम बी व फरजाना को मेडिकल के लिये भेजा था। बचाव पक्ष द्वारा किये गये साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि, फरियादी/आहत नसीम बी ने अंदरूनी चोट होना बताया था, बाहरी चोट होना नहीं बताया था एवं फरजाना ने उसकी कमर में बाये तरफ चोट आना बताया है।

07. मेडिकल ऑफिसर दुर्गासिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 01.03.2015 को पुलिस थाना ठीकरी से महिला आरक्षक कृष्णा क. 42 के द्वारा आहत नसीमबी पति जाकिर, निवासी ठीकरी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु लेकर आयी थी जिसका परीक्षण करने पर किसी प्रकार की बाह्य चोट नहीं पायी थी परंतु आहत छाती में दर्द की शिकायत बता रहा था, उसके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि उक्त दिनांक को ही उक्त महिला आरक्षक के द्वारा आहत फरजाना पिता जाकिर निवासी ठीकरी को परीक्षण हेतु लेकर आने पर उक्त आहत का परीक्षण करने पर एक सूजन की चोट, जिसका आकार आधा इंच गुणा 1/4 इंच जो कि बांये पीठ पर नीचले हिस्से में थी तथा उक्त चोटे किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से उसके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की सामान्य प्रकृति की आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, आहत नसीम बी को कोई चोटे नहीं थी तथा आहत फरजाना को एक चोट थी जो कमर के बाये हिस्से में

थी तथा आहत फरजाना को आयी उक्त चोट गिरने पडने से भी आना संभव है।

08. फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात् लिखायी गयी रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसे पी.सी.इंगले (अ.सा.7) ने प्रमाणित किया है। उक्त रिपोर्ट में भी फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) तथा फरजाना (अ.सा.2) को आयी हुयी चोटों का स्पष्ट उल्लेख है। चिकित्सकीय साक्षी डॉ. दुर्गासिंह (अ.सा.3) तथा साक्षी पी. सी.इंगले (अ.सा.7) के कथनों से भी फरियादी के कथनों का समर्थन स्पष्ट रूप से होता है। बचाव पक्ष के द्वारा चोटों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः चोटों के संबंध में साक्ष्य अखंडनीय है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, घटना के दिन नसीम बी (अ.सा.1) सीने पर अंदरूनी चोट आयी थी तथा फरजाना (अ.सा.2) को कमर पर चोट आयी। जो साधारण स्वरूप की थी, व किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पायी गयी थी।

09. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या उक्त चोटे अभियुक्त जाफर के द्वारा फरियादी/आहत नसीम बी (अ.सा.1) तथा फरजाना (अ.सा.2) को स्वैच्छया कारित की गयी। इस संबंध में विचार करने पर नसीम बी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह उपस्थित आरोपी जाफर को जानती है। घटना वर्ष 2015 की शाम के लगभग 4:30 बजे की है। घटना वाले दिन वह एवं उसकी लडकी फरजाना इसराईल पठान के यहां शादी में खाना खाने के लिये गये थे तथा वापस आते समय वे लोग उनके घर की ओर आ रहे थे तथा आरोपी भी उनके पीछे आ रहा था तभी नन्नु राठौड के घर के सामने आरोपी ने उसे और उसकी लडकी को मां बहन की गालियां दी, जो सुनने में उसे, उसकी पुत्र एवं आसपास के लोगों को बुरी लगी थी। उसने आरोपी को गालियां देने से मना किया तब उसने उसकी लडकी फरजाना की कमर पर लात मार दी, जिससे उसकी कमर पर चोट आई तथा उसने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उसे सीने पर लात मार दी, जिससे उसे अंदरूनी चोट आई। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर की थी जो प्रदर्श पी 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे और उसकी लडकी फरजाना को ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था जहां पर उनका ईलाज हुआ था। उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. बचाव पक्ष द्वारा फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि, अभियुक्त जाफर और उसका विवाद है इस बात से भी इंकार किया है कि, फरियादी द्वारा अभियुक्त का रास्ता रोका था और मारपीट और गालियां दी थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, अभियुक्त जाफर से फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) की पहले से दुश्मनी है तथा इस बात से भी इंकार किया है कि, अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। साक्षी द्वारा इस बात से

भी इंकार किया है कि, अभियुक्त से पहले से रंजिश होने से उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।

11. फरजाना (अ.सा.2) ने फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह अभियुक्त जाफर को जानती है। घटना 2 वर्ष पूर्व लगभग 5:00 बजे की है। घटना वाले दिन वह एवं उसकी माता नसीम बी, इसराईल पठान के यहां शादी में खाना खाने के लिये गये थे तथा वापस आते समय वे लोग उनके घर की ओर आ रहे थे तथा अभियुक्त भी उनके पीछे मोटरसाईकिल से आ रहा था तभी नन्नु राठौड के घर के सामने अभियुक्त ने उसे और उसकी माता को मां बहन की गालिया दी, जो सुनने में उसे, उसकी माता एवं आसपास के लोगों को बुरी लगी। उन्होंने अभियुक्त को गालिया देने से मना किया तब उसने उसे कमर पर लात मार दी, जिससे उसकी कमर पर चोट आई थी। उसकी माता ने बीच बचाव किया तब अभियुक्त ने उनके सीने पर लात मार दी जिससे उन्हें अंदरूनी चोट आई थी। मौके पर सेवक राठौड और संजू राठौड आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी एवं बीच बचाव किया था। वह एवं उसकी माता घटना स्थल से ही पुलिस थाना ठीकरी घटना की रिपोर्ट करने गये थे, जहां पर उसकी माता ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उसे और उसकी माता को ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था, जहां पर उनका ईलाज हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे।

12. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी फरजाना (अ.सा.2) के किये गये प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि, अभियुक्त को रास्ते में उसकी माता नसीम बी ने उसे रोका था। इस बात से भी इंकार किया है कि, अभियुक्त की मां एवं उसकी मां के मध्य विवाद हुआ था। उसने अभियुक्त से बीच बचाव किया था। इस बात से भी इंकार किया है कि, पूर्व विवाद को लेकर उसकी माता ने अभियुक्त से घटना वाले दिन विवाद किया था। इस बात से भी इंकार किया है कि, उनका अभियुक्त से झगडा विवाद चल रहा है। वह इस बात से भी इंकार किया है कि, अभियुक्त ने उसे व उसकी मां के साथ मारपीट नहीं की थी।

13. संजय (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह उपस्थित अभियुक्त जाफर एवं फरियादी नसीम और आहत फरजाना को जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व दोपहर पश्चात की है। वह घटना वाले दिन उसनके घर से बाजार की ओर जा रहा था तभी नन्नु राठौड की दुकान के सामने झगडा हो रहा था। झगडा आरोपी एवं फरजाना के बीच हो रहा था उसने बीच बचाव कर दोनों को छुड़ाया था। मौके पर दोनों के बीच आमक-झुमक हो रही थी। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये तथा साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का अंशिक रूप से समर्थन करते हुये अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, अभियुक्त व फरियादी/आहतगण के मध्य आमुक झामुक होते हुये देखी थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि, वह नहीं चाहता है कि, उसकी

गवाही से अभियुक्त जाफर को सजा हो।

14. सेवकराम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह उपस्थित आरोपी तथा फरियादी नसीम एवं आहत फरजाना को नहीं जानता है। उसके सामने उभय पक्ष का कोई विवाद या लड़ाई झगडा नहीं हुआ था। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये। साक्षी द्वारा अभियोजन के द्वारा किये गये लगभग सभी सुझावों को अस्वीकार किया है तथा अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, उसे मामले की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसने घटना देखी है।

15. राजेन्द्र सोलंकी (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 01.03.2015 को ठीकरी के अपराध क्र. 52/15 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन आरोपी के विरुद्ध जांच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा जांच के दौरान फरियादी नसीम, साक्षी फरजाना, संजय, सेवक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, उसकी ओर से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था। उसने फरियादिया नसीम बी की निशांदही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

16. बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझावों को अस्वीकार किया है कि, फरियादी नसीम बी ने मौखिक रिपोर्ट की थी लेखी रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी के द्वारा यह स्वीकार किया है कि, घटना स्थल का नक्शामौका उसके द्वारा बनाया गया है कि, साक्षी द्वारा इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि, घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगो के कोई कथन नहीं लिये थे। इस बात से भी इंकार किया है कि, उसे किसी भी साक्षी ने कोई बयान नहीं दिये थे व साक्षी के द्वारा घटना स्थल का नक्शामौका थाने पर बैठकर तैयार किया था।

17. प्रकरण में आयी साक्ष्य का सुक्ष्म अवलोकन किये जाने पर यह दर्शित है कि, फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) द्वारा स्पष्ट रूप से अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, घटना दिनांक को उसे तथा उसकी पुत्री फरजाना (अ.सा.2) को अभियुक्त जाफर द्वारा चोटे कारित की गयी थी। फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन आहत साक्षी फरजाना (अ.सा.2) के कथनों से होता है। बचाव पक्ष के द्वारा जो सुझाव साक्षी नसीम बी (अ.सा.1) तथा फरजाना (अ.सा.2) के समक्ष रखे गये हैं। उससे यह भी स्पष्ट है कि, घटना के दिन अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य विवाद हुआ था। अतः घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाये जाने का

कोई कथन नहीं है एवं चोटों के स्वरूप को देखते हुये व स्वयं कारित भी नहीं हो सकती है। बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण से घटना का खंडन नहीं होता है। फरियादी तथा आहत के कथन पूर्णतः अखंडित रहे हैं जो कि, विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

18. फरियादी स्वयं जिसे घटना में चोटें आयी हैं। उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत सैयद विरुद्ध म.प्र. राज्य 2010(10) एस.सी.सी. 259 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, फरियादी/आहत गवाह की साक्ष्य पर विधि में विशेष स्तर होता है क्योंकि उस गवाह की घटना स्थल पर उपस्थिति की इनबिल्ट ग्यारंटी रहती है और वह गवाह असली अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फसायेगा, इसकी संभावना कम रहती है। इस कारण आहत गवाहों के कथनों पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि, अच्छे आधार की साक्ष्य निरस्त करने के अभिलेख पर न हो। इस प्रकार जब तक की फरियादी के कथन में कोई महत्वपूर्ण तथ्यों में विरोधाभास ना हो तब तक साक्षी के कथनों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत *Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra (2016)10 SCC 537* में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, *Deposition of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for rejection of evidence on the basis of major contradictions and discrepancies for the reason that his presence on the scene stands established in the case and it is proved that he suffered the injuries during the said incident.*

20. फरियादी/आहतगण के द्वारा न्यायालयीन कथन में अभियुक्त के द्वारा चोटों को कारित किये जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से किया है। साक्षीगण के कथनों में कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है, अपितु उक्त साक्षीगण को घटना में चोटें आयी हैं।

21. वर्तमान मामले में फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) व फरजाना (अ.सा.2) ने अभियुक्त द्वारा उनके साथ मारपीट किये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं। यद्यपि सेवकराम (अ.सा.5)द्वारा फरियादी/आहतगण का समर्थन नहीं किया है। व अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है। चक्षुदर्शी साक्षी संजय (अ.सा.4) द्वारा यह व्यक्त किया है कि, घटना दिनांक को घटना स्थल पर अभियुक्त एवं फरजाना के मध्य झगडा हो रहा था तथा अभियोजन कहानी का अंशिक रूप से समर्थन करते हुये। अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा यह

स्वीकार किया गया है कि, वह यह नहीं चाहता है कि, उसकी गवाही से जाफर को सजा हो। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत Sidharth Vashisth alias Manu Sharma Vs. State of NCT of Delhi 2010(69) ACC 833(SC) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, *If the Prosecution witness has turned hostile, the court may rely upon so much of his testimony which supports the case of the prosecution and is corroborated by other evidence.* साक्षी संजय (अ.सा.4) प्रकरण में पक्ष विरोधी हो गया है किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा जो कथन न्यायालय में किये हैं, वह अभियोजन कहानी का आंशिक रूप से समर्थन करते। इस कारण उक्त साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता।

22. अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सौलकी (अ.सा.6) द्वारा अपनी साक्ष्य में अनुसंधान में की गयी कार्यवाही को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षी की सारतः साक्ष्य अखंडित रही है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य फरियादी/आहतगण की साक्ष्य को सम्पुष्ट करती है। अतः अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य भी प्रकरण में विश्वसनीय प्रतीत होती है।

23. मात्र अभियोजन साक्षीगण का पक्ष विरोधी घोषित हो जाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसरण में अभियोगी के कथनों की महत्वता कम नहीं करता है। प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि, अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्त द्वारा फरियादी आहतगण के साथ मारपीट किये जाने के पूर्णतः स्थिर कथन किये हैं। अभियोजन साक्षीगण के कथनों से यह अनुमान निकलता है कि, अभियुक्त द्वारा धारा 319 भा.द.सं. में वर्णित उपहति कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा फरियादी/आहतगण को उपहति, प्रकोपन या अन्यथा किसी कारण से कारित की हो बचाव पक्ष की न तो ऐसी कोई प्रतिरक्षा है ना ही कोई साक्ष्य है।

24. फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के कथनों की सम्पुष्टि घटना के तत्काल पश्चात् लिखायी गयी रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं चिकित्सकीय साक्ष्य डॉ. दुर्गासिंह (अ.सा. 3) के द्वारा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 3 व प्र.पी. 4 से स्पष्ट रूप से होता है। फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन फरजाना (अ.सा.2) के कथनों से होता है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) तथा फरजाना (अ.सा.2) के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। अतः न्यायालय अभियुक्त को धारा 323 भा.द.सं. के तहत सिद्धदोष पाता है।

//9//

आप0प्र0 कमांक 106/2015

आर.सी.टी.नं. 92/2015

संस्थित दिनांक 11.03.2015

//विचारणीय प्रश्न कं0 1 //

25. फरियादी नसीम बी (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि, नन्नु राठौड़ के घर के सामने अभियुक्त ने उसे व उसकी लडकी को मां बहन की गालियां दी थी जो उसे व उसकी लडकी को तथा आसपास के लोगों को बुरी लगी। इसी प्रकार के कथन आहत् फरजाना (अ.सा.2) ने भी किये हैं। फरियादी नसीम बी व आहत् फरजाना के अतिरिक्त अन्य साक्षी संजय (अ.सा.4) ने पक्ष विरोधी होने के बावजूद यह स्वीकार किया है कि, मौके पर अभियुक्त ने फरजाना को मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी ने नसीम बी (अ.सा.1) व फरजाना (अ.सा.2) को गालियां देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त नहीं किया है कि, उन्हें कौन-कौन सी गालियां दी थी, जिससे उन्हें क्षोभ कारित हुआ हो। मात्र गालियां देने के कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि, उन्हें जो गालियां दी गयी हैं, उससे उनको क्षोभ कारित हुआ हो।

26. यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि अश्लील गालियां सार्वजनिक स्थान के नजदीक उच्चारित की गई हों तो वह क्षणिक आवेश में उस शाब्दिक भाव के बिना प्रयोग होती है जो इन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है और यह अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गई है उसकी कोटि में नहीं आती क्योंकि धारा 294 में जो अश्लीलता की परिसंकल्पना की गई है, उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवनति की ओर ले जाये, उसमें कामुकता, यौन मनोवेग को पैदा करे। लेकिन अभियुक्त जाफर द्वारा मात्र नंगी नंगी गालियां देने के कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि, उससे फरियादी नसीम बी व फरजाना को क्षोभ कारित हो। इस बाबत् न्यायालय के दृष्टिकोण को बल माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निम्न दृष्टांतों में अवधारित विधिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है। सोबरन बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1967 जे एल जे शार्टनोट 135, विष्णु प्रसाद बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1971 जे एल जे शार्ट नोट 148 शारदा शर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2000 भाग-1 एम.पी. वीकली नोट कं. 78 तथा वंशी बनाम रामकृष्ण 1997 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट 224। अतः ऐसी परिस्थिति में आरोपी के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत धारा 294 भा.द.सं. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न कं0 3 //

27. फरियादी साक्षी नसीम बी (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, अभियुक्त ने उसे व उसकी लडकी को जान से मारने की धमकी

भी दी थी। इसी प्रकार फरजाना (अ.सा.2) ने भी उसे व उसकी माता को अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी थी। नसीम बी व फरजाना के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी ने नसीम बी (अ.सा.1) व फरजाना (अ.सा.2) को अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं किन्तु उक्त धमकी के अनुक्रम में कोई कृत्य कारित किया गया हो ऐसे कथन उक्त साक्षीगण द्वारा नहीं किये गये हैं। अपराधिक अभित्रास के अपराध के गठन के लिये केवल धमकी का कथन कर देना मात्र पर्याप्त नहीं है अपितु उसे पूर्ण किये जाने के प्रयत्न के अनुकरण में कोई कृत्य आवश्यक किया जाना चाहिये ऐसा कोई कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया हो ऐसा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

28. यह भी उल्लेखनीय है कि, धमकी इस तरह की भी होना चाहिए कि, जिससे आहत् को अभित्रास कारित हुआ हो अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि, आहत् को धमकी से अभित्रास कारित हुआ हो। उपरोक्त विश्लेषण से भा.द.सं. की धारा 506 का भाग दो का आरोप गठित होना दर्शित नहीं होता है। इस बिंदु पर माननीय मद्रास हाईकोर्ट के न्याय दृष्टांत नोबल मोहन दास विरुद्ध स्टेट 1989 सी.आर.एल.जे 669 अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि कोई उक्त धारा के तहत तभी दोषसिद्ध होता है जबकि दी गई धमकी वास्तविक हो। सिर्फ मौखिक धमकी दिये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वास्तव में फरियादी को कोई अभित्रास कारित हुआ हो। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 8 में यह व्यक्त किया है कि

Further for being an offence under Sec. 506(2) which is rather an important offence punishable with imprisonment which may extend to seven years, the threat should be a real one and not just a mere word when the person uttering it does exact mean what he says and also when the person at whom threat is launched does not feel threatened actually. In fact P.W. 1 when she filed the complaint to the police officer, did not express any fear for her life nor asked for any protection. Therefore, the offence under S.506(2) is not made out.

29 अतः ऐसी परिस्थिति में आरोपी के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत धारा 506 भाग-2 भा.द.सं. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

30. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त जाफर के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्त जाफर ने दिनांक 01.03.2015 को शाम 05:00 बजे, नायदड रोड नन्नु राठोर के घर के सामने ठीकरी में फरियादिया नसीम बी व फरजाना को मां बहन की अश्लील गालिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य सुनने वालों को

क्षोभकारित किया तथा फरियादी नसीम बी व फरजाना को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, परन्तु अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी नसीम बी व फरजाना को लात घुसों से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छया उपहति कारित की

31. अतः न्यायालय अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भा.द.सं. के अपराध में दोषमुक्त करता है, परन्तु धारा 323 भा.द.सं. के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है। अतः धारा 323 भा.द.सं. के आरोप में अभियुक्त जाफर को दोषसिद्ध व दंडित किया जा सकता है

32. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये। अभियुक्त का परिविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

पुनश्च:-

33. अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्त नहीं है अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कि, अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त एवं फरियादी रिश्तेदार है जेल की सजा देने पर निश्चित ही दोनों पक्षों के मध्य रंजिश बढ़ेगी। अभियुक्त कम उम्र का परिवार वाला व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को अर्थदंड देने से ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। फलतः अभियुक्त को धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत 1000/-रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताया जावे।

34. अभियुक्त जांच अथवा विचारण के दौरान निरोध में नहीं रहा है। इस संबंध में अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

35. अभियुक्त के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं, जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.